

## न्यायालय अनुमंडल पदाधिकारी, महागामा

पी०ए० केश नं०- 16/20-21

पांचो देवी बनाम् अभिषेक कुजूर

-: आदेश :-

01.11.2022

वर्तमान वाद आवेदिका पांचो देवी, पति-हल्लो कुजूर, सा०-दासु चकला, अंचल-मेहरमा, जिला-गोड्डा के आवेदन पर मौजा-करारचकला नं०-320 के ग्राम प्रधान वृद्ध होने के कारण करपरदार हेतु प्रक्रिया प्रारंभ किया गया है।


उभय पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता को सुना एवं अभिलेख में संलग्न अंचल अधिकारी, मेहरमा ने अपने पत्रांक-1107/रा०, दिनांक-28.08.2021 द्वारा समर्पित जांच प्रतिवेदन तथा कागजात का अवलोकन किया।

अंचल अधिकारी, मेहरमा ने अपने पत्रांक-1107/रा०, दिनांक-28.08.2021 से जांचोपरांत प्रतिवेदित किया है कि वर्तमान प्रधान पांचो देवी, पति-स्व० हल्लो उरांव, उम्र-60 वर्ष वृद्ध और अस्वस्थ रहती हैं। आवेदक अभिषेक कुजूर वर्तमान प्रधान पांचो देवी के छोटे पुत्र हैं, जो शिक्षित हैं। वर्तमान प्रधान पांचो देवी को वृद्धावस्था में प्रधानी कार्य करने में असुविधा होती है। वर्तमान प्रधान पांचो देवी के द्वारा शपथ पत्र सं०-21092, दिनांक-21.08.2021 के माध्यम से आवेदक अभिषेक कुजूर को करपरदार नियुक्त करने हेतु अनापत्ति व्यक्त किया गया है। उक्त के आलोक में आवेदक अभिषेक कुजूर, पे०-स्व० हल्लो उरांव को प्रासंगिक मौजा का करपरदार नियुक्त करने की अनुशंसा की गई है।


अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोक में आवेदक अभिषेक कुजूर, पे०-स्व० हल्लो उरांव, सा०-दासु चकला, अंचल-मेहरमा, जिला-गोड्डा को मौजा- करारचकला नं०-320 का करपरदार नियुक्त किया जाता है।

अंचल अधिकारी, मेहरमा को सूचित करें।

लेखापित एवं संशोधित।

  
01.11.22

अनुमंडल पदाधिकारी,  
महागामा।

  
01.11.22

अनुमंडल पदाधिकारी,  
महागामा।